

Payment of sitting fees

In terms of DFS guideline bearing reference no. F. No. 15/1/2011-BO.I, Dated 30th August 2019, the sitting fees for Independent /Non-Executive Director would be as under (w.e.f 01.01.2022).

Sr	Particulars	Sitting Fee
No		
1	For attending Board Meeting	Rs. 70, 000/-
2	For attending meeting of	Rs. 35, 000/-
	Board Committee	
3	For Chairing Board Meeting	Rs. 20, 000/- [in addition to (a) above]
4	For Chairing meeting of Board	Rs. 10, 000, -[in addition to (b) above]
	Committee	

Subject to an overall ceiling of Rs.25.00 lakhs per annum per Director.

The MD & CEO, Executive Director and every Director who is from Govt. of India and RBI, will not be paid any Sitting Fees.

Apart from this, the Bank makes arrangement for Travelling and Conveyance Expenses incurred by them. Please also note that Bank will not pay for any remuneration/ Commission pertaining to Independent /Non-Executive Director.



गैर-कार्यपालकों को भुगतान करने हेतु मानदंड

भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र एफ. नं. 15/1/2011-बी.ओ.आई दिनांक 30 अगस्त, 2019 के आधार पर गैर-सरकारी स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया जा रहा है, जो कि निम्नानुसार है (w.e.f 01.01.2022):

क्र.सं.	बैठक	प्रति बैठक राशि
(ক)	बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए	₹. 70,000/-
(ख)	बोर्ड समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए	₹. 35,000/-
(ग)	बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	₹. 20,000/-
		[उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त]
(ঘ)	बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	₹. 10,000/-
		[उपर्युक्त (ख) के अतिरिक्त]

किन्तु अधिकतम वार्षिक सीमा रु. 25 लाख तक ही होगी।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, निदेशक(निदेशकों) तथा ऐसे निदेशक जो कि भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी हैं, उन्हें बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक उनकी यात्रा एवं ठहरने संबंधी व्ययों को वहन करता है किन्तु बैंक द्वारा गैर-कार्यपालक निदेशकों को किसी प्रकार के पारिश्रमिक/कमीशन इत्यादि का भुगतान नहीं किया जाता है।